संख्या–1278(1)/35–4–2014

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः २० अक्टूबर,2014

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में 2150 हैण्डपम्पों के रिबोर से संबंधित कार्य को रू. 918.10 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है), की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 459.05 लाख (रू. चार करोड़ उन्सठ लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 जल निगम होगी।

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

3– प्रश्नगत हैण्डपम्पों के रिबोर कार्यों हेतु मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– जिलाधिकारी द्वारा जनपद में रिबोर होने वाले हैण्डपम्पों के लिए नियमानुसार स्थानों की सूची अधिकृत कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी।

5– हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग–6 के अध्याय –12 के प्रस्तर –318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक हैण्डपम्प का विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

6– हैण्डपम्प का विस्तृत आगणन तैयार करते समय दो प्रतिशत की दर से कन्टीजेन्सी अनुमन्य होगी।

7– प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

8– परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तद्नुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

10– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12– जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

13– कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का कय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

14– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित जिलाधिकारी का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

15– परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त इसके रखरखाव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तगत किया जायेगा।

16– अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

17– निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरुप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

18– त्वरित आर्थिक विकास योजना से सम्बंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01– जलपूर्ति– 102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–0301–जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था–24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाले जायेंगा तथा अनुदान संख्या–40 के अन्तर्गत –5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–04– जिला तथा अन्य सड़कें–101–पुल–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना– 02–नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी गई है। इस सम्बंध में आदेश संख्या–[illegible]–1278/35–4–2014 दिनांक 20 अक्टूबर,2014 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–1107(1)/दस–2014 दिनांक 20 अक्टूबर,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्याः 1278 (2)/ 35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2–महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/कृषि विभाग/नगर विकास विभाग।
4–प्रमुख सचिव, वित्त।
5–निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6–मण्डलायुक्त, कानपुर।
7–ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8– मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9– प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. जल निगम।
10–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज।
11–गार्ड फाईल
12–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
13–राज्य योजना आयोग–1
14–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से,

20/10/14
(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।